राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25 / 2025
उनवान : स्व. हीराराम के का.मु. रामलाल व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 162

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
स्व. हीराराम के कायम मुकाम वारिसान:– 1. रामलाल पुत्र हीराराम 2. भरत कुमार पुत्र हीराराम 3. श्रवण कुमार पुत्र हीराराम 4. दिलीप कुमार पुत्र हीराराम 5. विमला पुत्री हीराराम 6. गंगा पुत्री हीराराम 7. विनोद उर्फ विनु कुमारी पुत्री हीराराम 8. बगदी पत्नी हीराराम तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण सादलवा तहसील बाली जिला पाली राज.		1. देवेन्द्र सिंह पुत्र इन्दाजी 2. महेंन्द्र सिंह पुत्र इन्दाजी तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण सादलवा, तहसील बाली जिला पाली राज. 3. नेनू पुत्री इन्दाजी (पत्नी हरनाथ) जाति मेघवाल निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली राज. 4. तहसीलदार बाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 360 / 2025 न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय बाली

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा।
2. रेस्पोण्डेण्ट संख्या 01, 02, व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 27.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय बाली के प्रकरण संख्या 360 / 2025 को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करवाने बाबत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण 1 लगाय 8 व अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध एक राजस्व वाद प्रकरण संख्या 360 / 2025 बअनवान देवेन्द्र व अन्य बनाम स्व. हीराराम के कायम मुकाम व अन्य सहायक कलेक्टर बाली में प्रस्तुत किया हैं जो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2025
उनवान : स्व. हीराराम के का.मु. रामलाल व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

विचाराधीन है तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया था।

2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण सहायक कलेक्टर बाली द्वारा दिनांक 05.08.2025 को निस्तारित किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त आदेश की फोटोप्रति मोबाइल फोन पर वायरल करने से हुई जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा 17.08.2025 को न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उक्त आदेश की प्रति वायरल की थी जिससे न्यायालय की विश्वसनियता पर कठोर प्रहार है साथ ही न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2025 को शाम 6 बजे तक खुले न्यायालय में नहीं सुनाया गया था जिससे न्यायालय के उक्त निर्णय की विश्वसनियता पर प्रश्न चिह्न खडा होता है।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनो सेवानिर्वृत कर्मचारी है तथा उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति काफी समृद्ध हैं तथा राजनेताओं से अच्छे सम्बन्ध है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा भाजपा का पदाधिकारी भगाराम मेघवाल ने गांव में उक्त केस का निर्णय 2 माह के अन्दर अन्दर अपने पक्ष में करवाने का एलानिया तौर पर कहा है तथा कब्जा ले लेंगे जिसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भगाराम मेघवाल को साथ लेकर निर्णय अपने पक्ष में करवाने हेतु पीठासीन अधिकारी से न्यायालय अवकाशागार में 3–4 बार मिले तथा जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए पेशीया नजदीक दी जा रही है|जबकि न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन पुराने प्रकरण की पेशिया दूर दूर दी जा रही हैं|जिस पर दिनांक 05.08.2025 के बाद लगातार 3–4 दिन तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भाजपा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य तथा भाजपा का पदाधिकारी भगाराम मेघवाल के साथ न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी के अवकाशागार में जाकर मिले तथा प्रकरण से संबंधित वार्तालाप कर उक्त प्रार्थना पत्र का आदेश अपने पक्ष में करवाने हेतु बातचीत की जिसकी जानकारी प्रार्थी संख्या 1 को गांव में अन्य लोगो से हुई/जिससे प्रार्थीगण को यह आशंका हो गई हैं कि सहायक कलेक्टर बाली के समक्ष प्रार्थीगण को उक्त वाद पत्र में न्याय मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

4. यह है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में 212 आरटी एक्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को न्यायालय अवकाशागर में मिलकर फायदा पहूंचाने के लिए व्यक्तिगत संपर्क कर राजनीतिक पार्टी के पूर्व पदाधिकारी की उपस्थिति में सांठ गांठ कर बिना किसी ठोस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2025
उनवान : स्व. हीराराम के का.मु. रामलाल व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निस्तारण कर दिया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त बता कर उक्त निर्णय पारित किया जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 तथा पीठासीन अधिकारी आपस में मिले हुए होने से विधिविरुद्ध तरीके से प्रार्थीगण को नुकशान कारित करने पर तुले हुए है। जबकि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण हीरालाल के कायम मुकाम का कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा हैं।

5. यह है कि दिनांक 05.08.2025 के बाद उक्त प्रकरण की पेशी दिनांक 09.09.2025 को तय होने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता पेशी पर गये लेकिन उक्त पत्रावली पेशी में दिनांक 09.09.2025 को नहीं आई। जबकि कॉज लिस्ट व अधिवक्ता डायरी में उक्त पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास पडी है तथा पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मुख्यालय में उपस्थित नहीं है जिससे भी साफ जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में निजी रुप से रुचि रखे हुए है जिससे प्रार्थीगण को मौजुदा पीठासीन अधिकारी दिनेश बिश्नोई से न्याय की उम्मीद नहीं है। जिससे उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना उचित व न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सहायक कलेक्टर बाली के न्यायालय में लबित प्रकरण संख्या 360/2025 बउनवान देवेन्द्र व अन्य बनाम स्व. हीराराम के कायम मुकाम व अन्य को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने का आदेश प्रदान करावे जिससे प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पत्रावली दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली से तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगाय तीन ज़रिए अधिवक्ता उपस्थित आए तथा अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

पीठासीन अधिकारी न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली ने तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:—

1. प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है।
2. बिन्दु संख्या 02 में वर्णित तथ्य इस हद तक सही है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.08.2025 को इस न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा इस बिन्दु में शेष लगाये गये आरोप निराधार होने से अस्वीकार है।
3. बिन्दु संख्या 03 में प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में वर्णित पक्षकारों के भाजपा के जनप्रतिनिधियों/पदाधिकारियों से अच्छे संबंध होना वर्णित करते हुए न्यायालय पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

मिथ्या आरोप लगाये है। बिन्दु संख्या 03 में वर्णित जनप्रतिनिधि के पीठासीन अधिकारी से मिलने के तथ्य भी निराधार है।

4. बिन्दु संख्या 04 में भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने का आरोप लगाया है। जो आरोप न्यायालय के जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जहां तक निर्णीत प्रार्थना पत्र के संबंध में विधिक प्रावधानों का प्रश्न है प्रार्थीगण इस न्यायालय से असंतुष्ट है तो सक्षम अपील न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर सकते है।

5. बिन्दु संख्या 05 में लगे आरोप सही नहीं है प्रकरण की नियत पेशी 09.09.2025 को उक्त पत्रावली नकल सेक्शन में होने से देरी से न्यायालय डेस्क पर आई थी, संबंधित अधिवक्ता महोदय को भी वर्णित पत्रावली नकल शाखा में होने का बताते हुये थोडे समय पश्चात वर्णित पत्रावली पैरवी के लिये उपस्थित रहने हेतु बताया गया था। शेष आरोप मनगढंत होने से अस्वीकार है जहां तक प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने का प्रश्न है वह माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय पर लगाये व्यक्तिगत आरोप निराधार है। जहां तक प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करवाये जाने का प्रश्न है, इसके लिए प्रार्थीगण अपना अनुतोष नियमों के तहत पाने के अधिकारी है तथा प्रार्थीगण के अनुतोष को स्वीकार करने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय का है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी की जाना आवश्यक नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद बाबत् विभाजन, खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा सर्वकालिक स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण संख्या 2025/360 के रुप में दर्ज होकर विचाराधीन है। किन्तु सहवर्ती अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रदत निर्णय दिनांक 05.08.2025 की अप्रमाणित प्रति अप्रार्थीगण को प्राप्त होना, वाद नियत दिनांक 09.09.2025 को सुनवाई हेतु नियत होने के उपरान्त भी न्यायालय में पत्रावली का नहीं आना एवं अप्रार्थीगण तथा राजनीतिक दल विशेष के लोगों के साथ इस प्रकरण के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी का संवाद करना इत्यादि ऐसे कारण है, जिनका प्रार्थना पत्र में पदवार विवरण दिया गया है और जिस कारण यह ज़ाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी की इस प्रकरण में निजी रुचि है तथा प्रार्थीगण को मौजूदा पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः लम्बित प्रकरण संख्या 360/2025 बउनवान देवेन्द्रसिंह व अन्य बनाम स्व. हीराराम के कायम मुकाम को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने को आदेश प्रदान करावें।

इसके प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन ने बहस के दौरान निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली में विचाराधीन वाद प्रकरण संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2025

उनवान : स्व. हीराराम के का.मु. रामलाल व अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

GCMS NO. 2025/360 में प्रतिवादीगणों द्वारा मात्र वाद के निस्तारण को लम्बित करने के उद्देश्य से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निराधार कथनों व आक्षेपों का अंकन किया गया है। इसके उपरान्त भी यदि न्यायालय उचित समझते हुए पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने का निर्णय लेता है, तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। यद्यपि प्रार्थीपक्ष/प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित आक्षेपों की पुष्टि हेतु कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है तथा प्रश्नगत पीठासीन अधिकारी, न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली द्वारा भी उल्लेखित आरोपों का खण्डन किया गया है, किन्तु न्यायालय इस तथ्य को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकता कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी में विश्वास एवं न्याय की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। यह भी सत्य है, कि प्रार्थीगण द्वारा किसी न्यायालय विशेष में उक्त वाद को स्थानान्तरित करने की इस्तदुआ भी नहीं चाही गई है, जिससे उनकी मंशा पर सन्देह उत्पन्न करने का भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि यदि प्रार्थीगण को प्रश्नगत पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है, तो यह उचित है कि न्यायहित में उक्त विचाराधीन वाद प्रकरण संख्या 2025/360 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 में पद्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण GCMS NO. 2025/360 बउनवान देवेन्द्रसिंह व अन्य बनाम स्व. हीराराम के कायम मुकाम को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, सुमेरपुर को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने का आदेश दिया जाता है। उभयपक्षकारों को नवआवंटित न्यायालय में उपस्थिति देने हेतु पाबंन्द किया जाता है।

सहायक कलेक्टर, बाली को इस आशय की तहरीर जारी हो कि उनके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 2025/360 की सम्पूर्ण मूल पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर सुमेरपुर को आगामी सुनवाई हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner